संख्या-03/2017/72/59-2-2017-39(खा)/2006

प्रेषक,

सुरेश चन्द्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 20 मार्च, 2017

विषय- वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिला योजना के अन्तर्गत मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत सामान्य मद आयोजनेत्तर की अवशेष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत नई स्थापित एवं गत वर्ष की कार्यरत इकाईयों की स्थापना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-5 में प्राविधानित धनराशि रू0 18,00,00,000.00 (रूपये अट्ठारह करोड मात्र) के सापेक्ष द्वितीय किश्त की अवशेष धनराशि रू0 9,00,00,000.00 (रूपये नौ करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति संलग्नक फॉट के अनुसार व्यय करने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का जनपदवार विवरण संलग्नक में अंकित किया है, उसी के अनुसार धनराशि का आहरण जनपद स्तर पर किया जायेगा।

3- जिला योजना में आंवटित धनराशि सम्बन्धित जिलों के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा आहरित कर जिला ग्रामोद्योग अधिकारी/प्रबन्धक (ग्रामोद्योग) को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसे जिला ग्रामोद्योग अधिकारी योजना के प्रस्तर-11 में लिखित बैंक/बैंकों में शीर्षक ''मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना'' उपादान धनराशि वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत खाता खोलकर जमा करायेगें, जिसकी सूचना मुख्यालय को प्रेषित करेंगें।

4- जिला ग्रामोद्योग अधिकारी इस सम्बन्ध में सुनिश्चित हो लेंगे कि ब्याज सब्सिडी की धनराशि सिर्फ उन्ही उद्यमियों को स्वीकृत ऋण के सापेक्ष देय होगी जो योजना की पात्रता की शर्ते पूरी तरह से पूर्ण करते हो तथा जिनके ऋण आवेदन पत्र जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुमोदित हो, इसका पूर्ण उत्तरदायित्व जिला ग्रामोद्योग अधिकारी का होगा।

यदि यह पाया जाता है कि किसी अपात्र उद्यमी को योजना का लाभ प्राप्त हुआ है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित जिला ग्रामोद्योग अधिकारी का होगा।

5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 29-05-2012 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार धनराशि का भुगतान नगद व चेक के माध्यम से न करके सीधे लाभार्थी के खाते मे NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रानिकली किया जायेगा।

6- स्वीकृत धनराशि व्यय उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र आहरण अधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षर उपरान्त शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- योजना के अन्तर्गत धनराशि निम्न शर्तों के अन्तर्गत स्वीकृत की जायेगी:-

(1) उ0प्र0 के ग्रामीण क्षेत्र के 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के बेरोजगार नवयुवकों, परम्परागत कारीगरों एवं शिल्पियों को अधिकतम रू0 10.00 लाख (रूपये दस लाख मात्र) की व्यक्तिगत/साझेदारी इकाईयों को राष्ट्रीयकृत/ग्रामीण बैंको से वित्त पोषित कराया जायेगा। आई0टी0आई0 पालीटेक्निक संस्थाओं से प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार नवयुवकों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(2) सामान्य वर्ग के लाभार्थियों द्वारा सिर्फ 4 प्रतिशत ब्याज वहन किया जायेगा तथा शेष ब्याज की राशि योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी।

(3) आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों(अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक व महिलाओं) को योजना के अन्तर्गत ब्याज की पूर्ण धनराशि ब्याज उपादान के रूप में राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी।

(4) मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में निर्गत वित्तीय स्वीकृति में प्रावधानित 3 प्रतिशत धनराशि प्रचार-प्रसार जागरूकता एवं मूल्यांकन का जनपदों में व्यय परिक्षेत्र स्तर पर परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा।

(5) स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार नाबार्ड से अनुमोदित प्रोजेक्ट तैयार कराकर नियमानुसार खादी बोर्ड द्वारा उद्यमियों का चयन करने के उपरान्त राष्ट्रीयकृत/ग्रामीण बैंको से ऋण स्वीकृत कराया जायेगा।

(6) राष्ट्रीयकृत/ग्रामीण बैंको द्वारा ऋण स्वीकृत कराने के उपरान्त इकाईयों की सफलतापूर्वक कार्य करने एवं उसके सदुपयोग करने के उपरान्त ही ब्याज उपादान की धनराशि अनुमन्य होगी, जिसका भुगतान सीधे उद्यमियों के बैंक खाते से सम्बन्धित बैंक की मांग के अनुसार किया जायेगा।

(7) सम्बन्धित उद्यमियों द्वारा कार्य बन्द करते हुए धन का दुरूपयोग करते पाये जाने पर ब्याज उपादान की धनराशि का भुगतान रोक दिया जायेगा तथा जो धनराशि भुगतान की जा चुकी है, उसकी वसूली बैंक द्वारा तत्काल उद्यमियों से नियमानुसार कर ली जायेगी।

(8) सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा प्रोजेक्ट लागत का 10 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/जनजाति/महिला/विकलांग/अल्पसंख्यक/भूतपूर्व सैनिक वर्ग के उद्यमियों का प्रोजेक्ट लागत का 5 प्रतिशत अंशदान स्वयं वहन करना पडेगा।

(9) योजना का प्रचार-प्रसार प्रादेशित समाचारों के साथ रेडियों/दूरदर्शन से मुख्य कार्यपालक अधिकारी उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ द्वारा नियमित रूप से कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

8- प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि को व्यय करते समय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 एवं शासकीय मितव्ययिता बरते जाने के सम्बन्ध मे समय-समय पर निर्गत शासनादेशों मे दिये गये निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा सम्बन्धित अधिकारी द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद, एवं शासन को साथ ही मासिक व्यय विवरण प्रपत्र बी0एम0-08 में सचिव, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 उ0प्र0 शासन, लखनऊ को प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि से होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-5 के लेखा शीर्ष 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-आयोजनेत्तर-105-खादी ग्रामोद्योग-21-मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना-27-सब्सिडी के नामें डाला जायेगा।

10- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्र)
संयुक्त सचिव

संख्या-03/2017/72(1)/59-2-2017-39(खा)/2006 तददिनांकित

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/,द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/,द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
4- निदेशक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5- सम्बन्धित परिक्षेत्रीय/सयुंक्त/उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी, खादी बोर्ड।
6- सम्बन्धित जनपदों के प्रबन्धक (ग्रामोद्योग)/जिला ग्रामोद्योग अधिकारी।
7- सम्बन्धित जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी, जो योजनान्तर्गत आहरण एवं वितरण अधिकारी होगें।
8- सम्बन्धित जनपदों के कोषाधिकारी।
9- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0, 125, जवाहर भवन, लखनऊ।
10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
11- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
12- वित्त एवं लेखाधिकारी, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
13- एन0आई0सी0/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुरेश चन्द्र)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-03/2017/72/59-2-2017-39(खा)/2006, दिनांक 20 मार्च, 2017 का संलग्नक -
वित्तीय वर्ष 2016-17 में संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत अनुदान संख्या-5 में आयोजनेत्तर मद मे जारी स्वीकृतियां रू0 18,00,00,000.00 (रूपये अट्ठारह करोड मात्र) के सापेक्ष द्वितीय किश्त की अवशेष धनराशि रू0 9,00,00,000.00 (रूपये नौ करोड मात्र) की जनपदवार फांट (सामान्य मद)

क0 स0	**जनपद का नाम**	**धनराशि लाख रू0 में**
1	आगरा	15.00
2	फिरोजाबाद	13.00
3	मैनपुरी	12.00
4	मथुरा	13.00
5	अलीगढ	5.00
6	एटा	5.00
7	हाथरस (महामाया नगर)	12.00
8	कासगंज (काशीराम नगर)	11.00
9	इलाहाबाद	15.00
10	फतेहपुर	13.00
11	कौशाम्बी	11.00
12	प्रतापगढ	21.00
13	आजमगढ	14.00
14	बलिया	20.00
15	मऊ	11.00
16	बदायूं	13.00
17	बरेली	13.00
18	पीलीभीत	0.00
19	शाहजहांपुर	10.00
20	बांदा	12.00
21	हमीरपुर	12.00
22	चित्रकुट	12.00
23	महोबा	12.00
24	बहराइच	11.00
25	बलरामपुर	11.00
26	श्रावस्ती	0.00
27	गोण्डा	14.00
28	बाराबंकी	14.00
29	अमेठी	20.00
30	फैजाबाद	12.00
31	सुल्तानपुर	12.00
32	अम्बेडकर नगर	12.00
33	देवरिया	12.00
34	गोरखपुर	18.00
35	महाराजगंज	12.00
36	कुशीनगर	15.00
37	बस्ती	13.00
38	संतकबीर नगर	11.00
39	सिद्वार्थनगर	14.00

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

40	जालौन	11.00
41	झांसी	5.00
42	ललितपुर	5.00
43	इटावा	5.00
44	औरैया	11.00
45	फर्रूखाबाद	11.00
46	कन्नौज	16.00
47	कानपुर नगर	12.00
48	कानपुर देहात	14.00
49	हरदोई	15.00
50	लखीमपुर खीरी	25.00
51	लखनऊ	15.00
52	रायबरेली	12.00
53	सीतापुर	14.00
54	उन्नाव	15.00
55	बागपत	5.00
56	बुलन्दशहर	12.00
57	गौतमबुद्ध नगर	11.00
58	गजियाबाद	12.00
59	हापुड.	0.00
60	मेरठ	15.00
61	मुजफफर नगर	5.00
62	शामली	8.00
63	सहारनपुर	12.00
64	बिजनौर	12.00
65	रामपुर	13.00
66	सम्भल	12.00
67	मुरादाबाद	11.00
68	जे0पी0 नगर/अमरोहा	10.00
69	गाजीपुर	12.00
70	जौनपुर	15.00
71	वाराणसी	14.00
72	चंदौली	14.00
73	मिर्जापुर	16.00
74	संतरविदास नगर (भदोही)	15.00
75	सोनभद्र	14.00
	महायोग	900.00

(रूपये नौ सौ लाख मात्र)

(सुरेश चन्द्र)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in